संख्या- 07 /2021/421/अडतीस-7-2021-11नरेगा/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

अपर आयुक्त, मनरेगा,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-06/2021/322/38-7-2021-11नरेगा/2020 दिनांक 24-02-2021, जिसके द्वारा सामग्री एवं प्रशासनिक मद में निर्गत केन्द्रांश के द्वितीय भाग की द्वितीय किश्त के रूप में रू0 19900.00लाख(रूपये एक अरब निन्यानबे करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना केन्द्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र जारी किया गया है ।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24-02-2021 द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत भवन के निर्माण के सामग्री अंश के भुगतान में ही व्यय किया जाय। कृपया तदनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 07 /2021/421(1)/अड्तीस-7-2021तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।**
2. **समस्त जिलाधिकारी/मुख्य ेविकास अधिकारी, उ0प्र0।**
3. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://chasanadesh.up.gov.in